

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5384
(दिनांक 25.03.2026 को उत्तर के लिए)

सिविल सेवा परीक्षा हेतु साक्षात्कार

5384. श्री राजकुमार रोट:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) में अंक प्रदान करने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान चयनित अभ्यर्थियों का श्रेणी-वार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य) ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सिविल सेवा साक्षात्कार प्रक्रिया में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के अभ्यर्थियों को तुलनात्मक रूप से कम अंक दिए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार का साक्षात्कार बोर्डों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों की भागीदारी को अनिवार्य बनाने और सिविल सेवा साक्षात्कार प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली लागू करने हेतु ठोस दिशा-निर्देश जारी करने का विचार है; और
- (च) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) सिविल सेवा परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व परीक्षण (पीटी) / साक्षात्कार, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा गठित व्यक्तित्व परीक्षण बोर्डों द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किए जाते हैं। लोक सेवा में करियर के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार का उद्देश्य, अभ्यर्थी की मानसिक क्षमता को परखना है और यह उनके बौद्धिक गुणों, सामाजिक विशेषताओं और समसामयिक मामलों में उनकी रुचि का मूल्यांकन करता है। अभ्यर्थियों को 275 अंकों में से अंक दिए जाते हैं।

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान, सिविल सेवा परीक्षा के अनुशंसित अभ्यर्थियों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ग	सामान्य	आ.पि.व.(ईडब्ल्यूएस)	अ.पि.व.(ओबीसी)	अ.जा.	अ.ज.जा
वर्ष					
2021	290	77	215	106	60
2022	410	106	276	155	73
2023	435	119	323	168	87
2024	434	113	327	159	88
2025	317	104	306	158	73

(ग) से (च): अ.जा. / अ.ज.जा. अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की यूपीएससी द्वारा जाँच की गई थी और यह पाया गया था कि ये आरोप निराधार और बेबुनियाद थे। आयोग में अपनाई जाने वाली साक्षात्कार प्रणाली, किसी भी जाति/श्रेणी/वर्ग/भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त है। इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार बोर्डों में अ.जा. /अ.ज.जा. / अ.पि.व./अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों के साथ-साथ महिला अभ्यर्थियों की समग्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।
